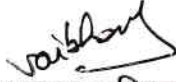


परियोजना का नाम - जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग (11.125 कि०मी०) तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

उपरोक्त परियोजना में वन भूमि 5.540 हे० प्रभावित हो रही है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के लिए दुगनी सिविल वन भूमि 11.080 हे० की आवश्यकता है, जिसके लिए 4.909 हे० सिविल वन भूमि ग्राम सेलासेलपड़ में प्रस्तावित है तथा 6.171 हे० सिविल वन भूमि ग्राम - गुलेरी में प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 11.080 हे० सिविल वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उचित है।


कनिष्ठ अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०,
चम्पावत।


सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०,
चम्पावत।
सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
चम्पावत।


अधिशाली अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०,
सिचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
चम्पावत।


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र-लोहघाट
वन प्रभाग


प्रस्तापन अधिकारी
जनपद चम्पावत

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

परियोजना का नाम— जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि के सम्बन्ध में ।

उपजिलाधिकारी महोदय लोहाघाट के प्रतिनिधि के निर्देशानुसार एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० चम्पावत द्वारा दिनांक 10-10-2015 को मोटर मार्ग में प्राभावित वन भूमि के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि स्थान का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के श्री कल्याण सिंह वन दरोगा, राजस्व विभाग के श्री हीराबल्लभ जोशी राजस्व उप निरीक्षक तथा सिंचाई खण्ड लो०नि०वि० चम्पावत के श्री रमेश चन्द्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया गया। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि का चयन ग्राम—गुरेली, पटवारी क्षेत्र—पुल्ला, तहसील लोहाघाट में किया गया जो राजस्व के अभिलेखों में श्रेणी 10 (4) बं०ना०आ० के खाता संख्या 121 खसरा नं० 4877 रकवा 1.008 हेक्टेयर, खसरा नं० 4878, रकवा 5.163 हेक्टेयर कुल 6.171 हेक्टेयर वन विभाग के प्रतिनिधि को दिखाया गया। इस मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में ग्राम—सेला सलपड में 4.909 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि आवंटित हो चुकी है जो राजस्व के अभिलेखों में श्रेणी 9 (3) बं०ना०आ० के खाता संख्या 194 खसरा नं० में दर्ज है। इस प्रकार इस मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 11.080 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि है। वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया।

उपरोक्तानुसार यह सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

प्रस्तावक विभाग

वन विभाग

राजस्व विभाग

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

राजस्व निरीक्षक
लोहाघाट
जनपद चम्पावत

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र—लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

10-10-2015
राजस्व उप निरीक्षक
लोहाघाट
तहसील

आज दिनांक 27/01/2015 को ग्राम-सेला सलपड़ पट्टी, डोल-मड़लक
 तहसील - लोहाघाट, जिला-चम्पावत में वन भूमि दोहरा मागी
 चमड़ेवल निजिल में हुई आते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम-
 सेला सलपड़ का संयुक्त निरीक्षण रमेश-चन्द्र एकनिष्ठ अभिपत्त)
 सिंचाई खण्ड (लो.नि.वि.) चम्पावत तथा डोलीय पटवारी श्री
 दीराबल्लभ जोशी, पट्टी-मड़लक व चतुर सिंह वन दरोगा
 रेंज - लोहाघाट के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया,
 प्रस्तावित भूमि में दोरी-2 झाड़ियाँ हैं तथा जो खतौनी
 खाता नं. 194 श्रेणी 9 (03) क की है, उक्त प्रस्तावित भूमि
 का डोलफल 4.909 है 0 है,

हस्ताक्षर

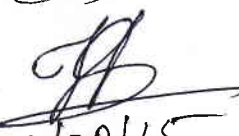
 राजस्व एवं निरीक्षण
 पट्टी-मड़लक
 तहसील लोहाघाट

हस्ताक्षर

 सहायक अभिपत्त
 पी. एम. एम. एम. वी. 0
 चम्पावत

हस्ताक्षर

 व. द.
 लोहाघाट

C.S.

 04/02/15
 तहसीलदार
 लोहाघाट